कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग ,देवरिया

पत्रांक 1629 / 2-6 दिनांक, देवरिया, जनवरी, 10 / 2023

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक
गोरखपुर मण्डल,
गोरखपुर ।

विषय :- **जनपद-देवरिया में सोनौली-बलिया मार्ग (एस0एच0-1) के कि0मी0 153 से 154 के मध्य ग्राम-अहिलवार बुजुर्ग, तहसील-सदर, जनपद-देवरिया में एस्सार ऑयल लिमिटेड द्वारा पेट्रोल पम्प के सम्पर्क मार्ग में प्रभावित 0.075028 हे0 संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में ।**

सन्दर्भ :- आपके कार्यालय के पत्र संख्या-884 / 2-6 दिनांक 06.10.2022 ।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा उक्त विषयक प्रकरण में मांगी गयी बिन्दुवार आख्या निम्न प्रकार है:-

1-अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि बरहज रेंज के अन्तर्गत कार्यरत श्री रविन्द्र सिंह प्रभारी क्षेत्रीय वन अधिकारी, माह-दिसम्बर-2021 से कार्यरत है विषयगत पेट्रोल पम्प स्थल की जांच क्षेत्रीय वन अधिकारी, बरहज द्वारा दिनांक 18.09.2022 को किया गया जिसमें पेट्रोल पम्प का संचालन बिना भारत सरकार के अनुमति के किया जा रहा है। जिसकी स्वीकृति की कार्यवाही हेतु पत्राचार विगत् 4 वर्षो से चल रहा है वर्तमान में वन भूमि का गैर वानिकी प्रयोग किये जाने के कारण सम्बन्धित फर्म/पेट्रोल पम्प स्वामी के नाम विभागीय एच-2 केस संख्या-17/2022-23 दिनांक 29.09.2022 द्वारा इजरा किया गया है।

2-उक्त पेट्रोल पम्प की पत्रावली भारत सरकार से स्वीकृति के प्रकिया एवं पत्राचार में विगत् चार वर्षो से लम्बित है। जिसके कारण स्वीकृति के प्रकिया में विलम्ब हुआ है। इस प्रकरण में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

3-बरहज रेंज के अन्तर्गत इसके अतिरिक्त कोई अन्य पेट्रोल पम्प भारत सरकार के अनुमति के बिना संचालित नहीं है, तथा रूद्रपुर एवं भटनी रेंज में कोई पेट्रोल पम्प बिना स्वीकृति का संचालित नहीं है। देवरिया रेंज में 17 पेट्रोल पम्प संचालित है जिसमें 03 पेट्रोल पम्प पर एच-2 केस जारी किया गया है जो प्रस्ताव स्वीकृति की प्रकिया में है शेष 14 पुराना है तथा सलेमपुर रेंज में 13 पेट्रोल पम्प लगे है जिसमें से 02 पेट्रोल बन्द है तथा 02 पेट्रोल पम्प ऑनलाइन प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रस्ताव चल रहा है। शेष 09 अदद पेट्रोल पम्प 1976, 1984 व 2010 के पूर्व से संचालित है। जिस पर वन संरक्षण अधिनियम-1980 के अन्तर्गत स्वीकृति की कार्यवाही हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी को निर्देश दिया गया है। देवरिया व सलेमपुर रेंज में बिना स्वीकृति के संचालित पेट्रोल पम्प पर विधिक कार्यवाही करते हुए स्वीकृति की कार्यवाही हेतु सम्बन्धित प्रयोक्ता एजेन्सी/फर्म को क्षेत्रीय वन अधिकारियों के माध्यम से स्वीकृति कराने हेतु निर्देश दिया गया।

अतः आख्या आपकी सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

(जगदीश आर)
प्रभागीय निदेशक
सामाजिक वानिकी प्रभाग,देवरिया